

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2052 / 2007 / डूंगरपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एस्सार लोजिस्टिक्स लिमिटेड, सूरत (गुजरात).

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/6/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 176/आर.एस.टी./2006-2007 में पारित किये गये आदेश दिनांक 2.5.2007 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 15.11.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.2006 को रतनपुर में वाहन संख्या HR-55/D-2738 को चैक करने पर वाहन में 'एच. आर. प्लेट्स' परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से सम्बन्धित (1) मैसर्स आईडियल मूर्स प्रा0 लि0, कोलकाता की कन्साईनमेंट नोट क्रमांक 4631/149377 व 4631/149378 दिनांक 13.11.2006 (2) मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड, हजीरा का इन्वॉयस क्रमांक 060068 व 060069 दिनांक 13.11.2006; (3) मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड, हजीरा के वर्क टेस्ट सर्टीफिकेट दिनांक 13.11.2006 एवं (4) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर का घोषणा-पत्र एस.टी.18ए संख्या 0660139 पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि परिवहनित माल मैसर्स एस.आर.डी. स्टील्स प्रा0 लि0 भिलाई (छत्तीसगढ़) द्वारा क्रय किया गया है, जबकि घोषणा-पत्र एस.टी.18ए मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का पेश किया गया है। अतः क्रेता ने स्वयं का प्रपत्र पेश नहीं करके

लगातार.....2

तथा कनसाईनी का प्रपत्र पेश करके, करापवंचन का स्पष्ट प्रयास किया है तथा कनसाईनी के प्रपत्र एस.टी.18ए का दुरुपयोग किया है। अतः उक्त दस्तावेज कर चोरी की नियत से कूटरचित होने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन होने से, मैसर्स एस.आर.डी. स्टील्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी मैसर्स एस्सार लोजिस्टिक्स प्रा० लि० द्वारा जिम्मेदारी लेते हुए उसे पक्षकार बनाकर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 15.11.2006 से शास्ति रूपये 5,70,000/- का आरोपण किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.5.2007 से स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से माल मंगवाया गया था, जो कि अधिसूचित माल है, लेकिन वांछित घोषणा पत्र स्वयं का नहीं होकर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर का था। इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(2) के उल्लंघन के कारण धारा 76(6) के तहत शास्ति उचित आरोपित की गई थी, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर विधिक भूल की है अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि परिवहनित माल का व्यवसायी ने परिवहन के दौरान ट्रांजिट सेल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 6(2) के तहत मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को की थी, इसलिए हिन्दुस्तान जिंक लि० का घोषणा पत्र पूर्णतया भरा हुए दस्तावेजों के साथ मौजूद था। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 अनुसार घोषणा पत्र माल प्राप्त करने वाले व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अंकित है तथा घोषणा पत्र में भी माल के कन्साइनी (प्रेषिति) द्वारा ही फॉर्म प्रस्तुत किया जाना अंकित है। चूंकि माल केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा



लगातार.....3




ही प्राप्त किया गया है, अतः मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का घोषणा पत्र दस्तावेजों में उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 76(2) का उल्लंघन नहीं है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्त्रि गलत रूप से आरोपित की गई है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 TUD 91 (RTB) तथा (2010) 26 TUD 69 (RTB) का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से अधिसूचित माल क्रय कर माल को मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को प्रेषित कराया है। बिल व बिल्टी दोनों में माल क्रयकर्ता प्रत्यर्थी है तथा प्रेषिति हिन्दुस्तान जिंक दर्शाया गया है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का घोषणा पत्र एस.टी.18ए संलग्न किया गया है तथा इस विक्रय को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत ट्रांजिट सेल बताया है। प्रकरण के तथ्य पूर्व निर्णित प्रकरण (26 TUD 69) के सदृश हैं, जिसमें 6(2) की बिक्री पर अंतिम क्रेता के फॉर्म को विधिसम्मत माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण उक्त प्रकरणों से आच्छादित होने के कारण धारा 6(2) के तहत बिक्री की स्थिति में अन्तिम क्रेता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र उपलब्ध होने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) की पालना हो जाती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
19/06/14